इस हुक्म की तारीख
नम्बर व तारीख हुए

27.01.26

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई।

दोनो पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं होने स खारिज करने बाबत पर बहस सुनी गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस है कि वादी के कथनानुसार वादी का अपने हिस्से पर माफिक हिस्सानुसार कब्जा काश्त है तथा वादी के कब्जा काश्त भूमि में खडी फसल को प्रतिवादीगण नष्ट कर अतिक्रमण करने हेतु आमादा है ,परन्तु मौके कि स्थिति बिल्कुल इसके विपरित है जिस नक्शे के आधार पार वादी ने उक्त स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है वहां पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त एवं रहवासीय पक्के मकान बने हुये है जो 50 वर्ष से भी अधिक पुराना है तथा वादी वं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में हुये मौखिक बंटवाडे के अनुसार ही कब्जा काश्त कायम है, प्रतिवादी ने अपने कथनो के सम्बन्ध मे वादग्रस्त भूमि का फोटोग्राफ्स व सेटेलाईट नक्शा पेश किया,प्रतिवादी ने आगे कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत वाद दायर करने के लिये कब्जा होना आवश्यक है जो व्यक्ति जोत का कब्जा नही रखता वह स्थाई व्यादेश का वाद फाईल नहीं कर सकता है प्रतिवादी द्वारा अपने कथनो के समर्थन में भू.अ.निरीक्षक द्वारा तहसीलदार समदडी द्वारा दिनांक 06.08.2025 को प्रेषित जांच रिपोर्ट व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट नम्ब्र 1850 व 1851 निर्णय दिनांक 24.11.2015 अनवान फेली व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू और अन्य अर्जुनलाल अनाम बद्रीलाल 2021 (1) DNJ (Rev.) 69 Board of Revenue व माननीय उच्चतम न्यायालय दिनांक 14.10.1977 को T.Arivandandam vs T.V Satyapal,(1977 [illegible] SCC) की नजीर पेश की गई।

वादी अधिवक्ता की बहस है कि वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है जो राजस्व रेकर्ड से पूर्णतया साबित है, प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खातेदारी भूमि में अवैध रूप हस्तक्षेप किये जाने के कारण वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:47:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उक्त वाद न्यायालय श्री में पेश किया गया है वादग्रस्त भूमि पर वादी जोत करता आया है व कब्जा उक्त भूमि वादी की कब्जा काश्त की है प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होती क्योंकि उक्त नजीरों में केवल मात्र कब्जे को लेकर दावा किया गया था जिसमें प्रतिवादी का कब्जा था, परन्तु वर्तमान वाद पत्र कब्जे को लेकर नहीं है खातेदारी अधिकारो के रक्षा को लेकर है इसलिए उक्त नजीरे वर्तमान वाद में लागू नहीं होती है वादी अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि उक्त वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के संहिता मूलत लागू नही होने के कारण वाद पत्र चलने योग्य है, जहां तक वादी ने कब्जे का प्रश्न बाबत एतराज किया है यह तथ्यों के प्रश्न है और तथ्यों के प्रश्न मे मात्र प्रार्थना पत्र खारिज न किया जाकर बाद तनकीयात व साक्ष्य लेकर विधि अनुसार निस्तारित किया जाना चाहिए लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे। वादी ने प्रार्थना पत्र के जवाब के समर्थन में 2021(2)DNJ (REV.)1401 PUSHPA KANWAR V/S RAMI, 2013 DNJ (REV.)207 HARILAL SUTHAR V/S KANHAIYALAL PALIWAL, 2013 DNJ (REV.)233 AKHECHAND V/S BHOMA की नजीर पेश की गई। हमने दोनो पक्षो के अधिवक्ता की बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से मनन किया विधि के परिपेक्ष्य की विवेचना की वादी तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया । यहां न्यायालय को यह तय करना था कि यह वाद अज अदालत में चलने योग्य है या नहीं है ? आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.– वाद [illegible] नामंजूर किया जाना:– वाद पत्र निम्नलिखित दशा में नामंजूर किया जाएगा (क) जहाँ वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है (ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है कि वादी मूल्याकंन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:47:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियम किया है,ऐसा करने मे असफल रहता है ; (ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है,ऐसा करने में असफल रहता है; (घ) जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है; (ङ) जहां यह दो प्रतियों मे फाइल नहीं किया जाता है; (च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है ; प्रतिवादी का कथन है कि वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं होने से वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है, वादी का कथन है कि वादी वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है वादी ने वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप किये जाने से प्रतिवादी से अपने हितो की रक्षा हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का व वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अवलोकन एवं मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ए' के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद पत्र के संलग्न किये गये नक्शा व परिशिष्ट 'ए' में दर्शित नक्शे में विभिन्नता है, वादी का [illegible] का[illegible] परिशिष्ट "ए" अनुसार है तथा मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण [illegible] मकान भी परिशिष्ट "ए" अनुसार ही है इससे प्रतीत होता है कि [illegible] का कब्जा काश्त भी माफिक वाद अनुसार नहीं है। BOARD OF REVENUE FOR	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:47:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

RAJASTHAN,AJMER 2021 (1) DNJ (Rev.)69 Arjunlal vs Badarilal में यह मत पारित किया है कि *No. permanent injuction can be granted when the plaintiff is not in possesssion of the land.High court D.B.Civil Special Appeal (Writ) No.1850& 1851 of 2014 Feli & Ors. V/s Board of Revenue & Ors. decided on 24th November,2015* में कब्जे के अभाव मे स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज किया है। तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट से स्पष्ट प्रतीत है कि वादी का वाद में दर्शित नक्शानुसार वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वाद हैतुक दर्शित नहीं हो रहा है।

लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद, वाद हेतुक प्रकट नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:47:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 108 / 2025

वादीः–

नैनसिंह पुत्र भैरसिंह जाति राजपूत निवासी देवलीयाली तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राणसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत
2. गुलाबकंवर पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत
3. रूपसिंह पत्नी देवीसिहं जाति राजपूत
4. अमरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत
5. देशकंवर पत्नी हरीसिह जाति राजपूत
6. स्वरूपसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत
   तहसील समदडी जिला बालोतरा
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : – 07-01-2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई श्री श्रवण जांगिड अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र पर वाद हेतुक प्रकट नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.01.26 को जारी की गई।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
S.D.O. सिवाना

सहायक कलेक्टर S.D.O. सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:47:32 IST
Reason: SelfAttested